न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 71/2018

1 मातादीन सिंह पुत्र पीथसिंह उम्र 51 साल जाति राजपूत निवासी पौंख तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं राज.।

अपीलांट

बनाम

1 विक्रम सिंह पुत्र सतीदान सिंह उम्र 43 साल
2 कल्याण सिंह उम्र 70 साल पुत्र मखनसिंह
3 किशोर सिंह उम्र 68 साल पुत्र मखनसिंह
4 नन्दुसिंह उम्र 65 साल पुत्र मखनसिंह
5 उम्मेदसिंह उम्र 60 साल पुत्र मखनसिंह
6 शान्ति कंवर पत्नी स्व. पीथसिंह फौत
7 श्रीमती नन्दुकंवर पुत्री पीथसिंह
समस्त जातिगण राजपूत निवासीगण ग्राम पौंख तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू राज.।
8 भूमि धारक तहसीलदार तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू राज.।

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय व आदेश दिनांक 11.05.2018
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं
मुकदमा उनवानी विक्रमसिंह बनाम मातादीन वगै. प्रार्थना
पत्र अ.धारा 251 ए आर.टी.एक्ट मु.नं. 144/2017

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

उपस्थिति :

1. श्री विजय सिंह शेखावत, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री जुगल किशोर सैनी, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः—20.12.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा मुकदमा नम्बर 144/2017 में पारित निर्णय दिनांक 11.05.2018 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने एक प्रार्थना पत्र 251 ए बाबत भूमि खसरा नम्बर 1733, 1734, 1735, 1736, 1745, 1747, 1748, 1749, 1750 वाके ग्राम पौंख का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 के द्वारा जिस काश्त की भूमि के लिये रास्ता कायम करने के लिए भूमि खसरा नम्बर 1733, 1734, 1735, 1736, 1745, 1747, 1748, 1749, 1750 कुल किता 9 कुल रकबा 1.23 हैक्टर भूमि का विवरण अपने प्रार्थना पत्र में विचारण न्यायालय के समक्ष दिया उपरोक्त भूमि सह खातेदारी की भूमि है जिसका अभी तक खाता विभाजन नहीं हुआ है तथा उपरोक्त भूमि में आने जाने के लिये भूमि खसरा नम्बर 1755 की सीमा से रिकार्डेड कटानशुदा रास्ता गुजरता है जिसका खसरा नम्बर 1062/1, 1062/2 है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व सह खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 1747, 1748, 1749 में आने जाने के लिये खसरा नम्बर 1745, 1755 की सीमा से होकर जाने

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झनूं)

वाले रास्ता काफी वर्षों से कायम है। जिसका उपयोग व उपभोग रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व सह खातेदारी करते आ रहे है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की सह खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 1745 जो भूमि खसरा नम्बर 1755 से सहटक लगी है तथा भूमि खसरा नम्बर 1755 से होकर जाने वाला वर्षो पुराना कटाण रास्त भूमि खसरा नम्बर 1745 में जाता है। इसलिये रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की सह खातेदारी की भूमि में निकटतम से निकटतम रास्ते पहले से ही काफी वर्षों से कायम है। जिसका उपयोग व उपभोग रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व अन्य सह खातेदार निर्बाधरूप से पिछले काफी वर्षों से करते आ रहे है। उपरोक्त पूर्व में रास्ता होने के तथ्य को छुपाने के लिये रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने जानबुझकर बदनियत भूमि खसरा नम्बर 1733, 1734, 1735, 1736, 1745, 1747, 1748, 1749 व 1750 कुल किता 9 कुल रकबा 1.23 हैक्टेयर भूमि के अन्य सहखातेदारों को विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र में आवश्यक पक्षकार होते हयु भी पक्षकार नहीं बनाया। विचारण न्यायालय ने इन तथ्यों पर गौर किये वगै. ही निर्णय पारित कर दिया जो विरूद्ध कानून व पत्रावली होने की वजह से निरस्त होने योग्य है। रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अपनी सह खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 1747, 1748, 1749 के लिये रास्ते की मांग की उसके निकटतम से निकटतम कम दुरी का रास्ते रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 की सह खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1745 लगता है जो मुख्य रास्ते से निकटतम दुरी पर स्थित है व भूमि खसरा नम्बर 1747 व 1748 के सटकर लगता है। लेकिन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 अपनी भूमि का व्यवसायक लाभ व मुल्य वृद्धि के लिये निकटतम से निकटतम वर्षों पुराना कटाण का रास्ते कायम होने के बावजुद भी नया रास्ता कायम करवाना चाहता है। लेकिन अदालत ने इन तथ्यों पर गौर किये वगैर ही निर्णय पारित कर दिया। अप्रार्थी संख्या 1 श्रीमती शांति की मृत्यु के उपरांत प्रस्तुत कायममुकामान प्रार्थना पत्र को विचारण न्यायालय ने दिनांक 26.03.2018 को स्वीकार करते हुये श्रीमती शान्ति कंवर की वारिसान पुत्री रेस्पोडेन्ट संख्या 7 को अप्रार्थी संख्या 8 के रूप में रिकार्ड पर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झनूं)

दर्ज करने के आदेश प्रदान किये। लेकिन विचारण न्यायालय के उपरोक्त स्वयं के आदेश की न तो पालना की व नहीं रेस्पोडेन्ट संख्या 7 को रिकार्ड पर लिया। तथा आनन फानन में रेस्पोडेन्ट संख्या 7 को समन तामील करवाये वगै. ही निर्णय व आदेश पारित करता है। इसलिये निर्णय पारित करते समय विचारण न्यायालय ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त की पालना किये वगै. ही निर्णय पारित कर दिया जो कानूनन निरस्त होने योग्य है। रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व 5 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही होने पश्चात दिनांक 26.03.2018 को रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व 5 के द्वारा प्रार्थना पत्र अ.धारा आदेश 09 नियम 13 के तहत प्रार्थना पत्र पेश किया लेकिन विचारण न्यायालय ने पक्षकारों को पूर्ण सुनवाई के बिना ही उनका प्रार्थना पत्र खारिज फरमा दिया गया। इसलिये विचारण न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट नम्बर 3 व 5 को बिना समुचित सुनवाई का अवसर दिये वगै. निर्णय व आदेश पारित कर दिया जो खिलाफ कानून होने की वहज से निरस्त होने योग्य है। विचारण न्यायालय ने उक्त निर्णय व आदेश दिनांक 11.05.2018 को राजस्व कैम्प कोर्ट में गठित लोक अदालत में पारित किया है। लेकिन विचारण न्यायालय ने न ही पक्षकारों विधिवत लोक अदालत के नोटिस प्रेषित करवाकर तामील करवाई व नहीं पक्षकारों की सहमति ली तथा वगैर किसी समझाईस व राजीनामा व सहमति के वगैर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के प्रभाव में आकर निर्णय पारित कर दिया। जबकि कानूनन राजस्व कैम्प कोर्ट के अधीन गठित लोक अदालत में पक्षकारों के मध्य समझाईस व पारस्परिक सहमति से ही निर्णय पारित किया जाना आवश्यक है। लेकिन विचारण न्यायालय ने वगैर ज्युडिसियल माईण्ड अप्लाई किये वगै विधि विरूद्ध निर्णय व आदेश दिनांक 11.05.2018 पारित कर दिया जो विरूद्ध कानूनी होने से निरस्त होने योग्य है। ग्राम पौंख तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं की सरहद में स्थित भूमि हाल खसरा नम्बर 1737, 1738, 1740 व 1741 अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 7 की सह खातेदारी की भूमि है जिसका राजस्व रिकार्ड व मौके पर खाता विभाजन नहीं हुआ है। इसलिये विचारण न्यायालय के द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 7

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

को सुनवाई के पश्चात ही निर्णय पारित करना चाहिये था लेकिन विचारण न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 7 को बगैर तामिल व सुनवाई के निर्णय पारित कर दिया जो विरूद्ध कानून व पत्रावली होने से निरस्त होने योग्य है। रेस्पोडेन्ट संख्या 4 बाद तामील जरिये अधिवक्ता विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थिति हुआ तथा विचारण न्यायाल की आदेशिका दिनांक 26.03.2018 को रेस्पोडेन्ट संख्या 4 के जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की कार्यवाही में लंबित रखी गई थी लेकिन विचारण न्यायालय ने दिनांक 11.05.2018 को वगै. रेस्पोडेन्ट संख्या 4 की जवाब देही के आनन फानन में निर्णय पारित कर दिया जो निरस्त होने योग्य है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि ग्राम पौंख की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 1733, 1734, 1735, 1736, 1745, 1747, 1748, 1749, 1750 किता 9 कुल रकबा 1.23 हैक्टेयर प्रार्थी विक्रम सिंह व अन्य की सहखातेदारी भूमि है इसी प्रकार भूमि खसरा नम्बर 1737, 1738, 1740, व 1741 की खातेदारी अप्रार्थीगण के नाम से दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी व प्रार्थी के सहखातेदारी भमि खसरा नम्बर 1747, 1748 व 1749 में आवागमन हेतू कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 1747 के उत्तर की ओर अप्रार्थीगण की भमि खसरा नम्बर 1741 व 1737 है खसरा नम्बर 1737 के पश्चिमी सीमा पर एक मुख्य सड़क जो ग्राम नेवरी की ओर गुजरती है प्रार्थी अपनी कृषि भूमि में आने जाने के लिए प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा में दर्शित बिन्दु ए से बीत क रास्ता अप्रार्थीगण की भूमि मं से चाहता है बाधित रास्ते के अलावा प्रार्थी की खातेदारी भूमि में आवागमन हेतू अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलबध नहीं है। प्रकरण में तहसीलदार उदयपुरवाटी से रिपोर्ट तलब की गई, रिपोर्ट अनुसार खसरा नम्बर 1747 में नेवरी सडत्रक से खसरा नम्बर 1737 व 1741 में प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झनूं)

रास्ता नहीं है खसरा नम्बर 1737 व 1741 में आने जाने के लिए क्लेमशुदा रास्ते की लम्बाई चौड़ाई खसरा नम्बर 1737 में 8 x4 व.मी. तथाा खसरा नम्बर 1741 में 44 x 4 व.मी. बनता है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अपने जवाब में अंकित किया है कि प्रार्थी की कृषि भूमि में जाने के लिए पूर्व में रास्ता मौजूद है इस तथ्य की पुष्टि प्रस्तुत प्रा.पपत्र एवं रिपोट तहसीलदार से नहीं होती है क्योंकि प्रार्थी की खातेदारी भूमि में जाने आने के लिए वांछित रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय पातिर करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम पौंख की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 1733, 1734, 1735, 1736, 1745, 1747, 1748, 1749, 1750 किता 9 कुल रकबा 1.23 हैक्टेयर प्रार्थी विक्रम सिंह व अन्य की सहखातेदारी भूमि है इसी प्रकार भूमि खसरा नम्बर 1737, 1738, 1740, व 1741 की खातेदारी अप्रार्थीगण के नाम से दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी व प्रार्थी के सहखातेदारी भमि खसरा नम्बर 1747, 1748 व 1749 में आवागमन हेतू कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 1747 के उत्तर की ओर अप्रार्थीगण की भमि खसरा नम्बर 1741 व 1737 है खसरा नम्बर 1737 के पश्चिमी सीमा पर एक मुख्य सड़क जो ग्राम नेवरी की ओर गुजरती है प्रार्थी अपनी कृषि भूमि में आने जाने के लिए प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा में दर्शित बिन्दु ए से बीत क रास्ता अप्रार्थीगण की भूमि मं से चाहता है बाधित रास्ते के अलावा प्रार्थी की खातेदारी भूमि में आवागमन हेतू अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलबध नहीं है। प्रकरण में तहसीलदार उदयपुरवाटी से रिपोर्ट तलब की गई, रिपोर्ट अनुसार खसरा नम्बर 1747 में नेवरी सडत्रक से खसरा नम्बर 1737 व 1741 में प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है खसरा नम्बर 1737 व 1741 में आने जाने के लिए क्लेमशुदा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झनूं)

रास्ते की लम्बाई चौड़ाई खसरा नम्बर 1737 में 8 x4 व.मी. तथाा खसरा नम्बर 1741 में 44 x 4 व.मी. बनता है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अपने जवाब में अंकित किया है कि प्रार्थी की कृषि भूमि में जाने के लिए पूर्व में रास्ता मौजूद है इस तथ्य की पुष्टि प्रस्तुत प्रा.पत्र एवं रिपोर्ट तहसीलदार से नहीं होती है क्योंकि प्रार्थी की खातेदारी भूमि में जाने आने के लिए वांछित रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय पातिर करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। इसमें हम कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 20.12.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर